राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1343/2013/उदयपुर

मैसर्स श्री अम्बिका एन्टरप्राईजेज,
उदयपुर।
.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–द्वितीय, वृत–सी, उदयपुर।
.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 13/03/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 16/वैट/12–13/उदयपुर में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 25.03.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत–सी, उदयुपर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 25 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 22.03.2012 के जरिये कर रूपये 72,000/– शास्ति रूपये 1,69,000/– एवं ब्याज रूपये 38,880/– कुल मांग रूपये 2,79,880/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को अधिनियम की धारा 83 के तहत विवादित किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा मैसर्स बहरोड इण्डेन बहरोड को रूपये 72,000/– की बिक्री की गई। जिसके आईटीसी सत्यापन के लिये व्यवसाई द्वारा कोई प्रपत्र पेश नहीं किया गया एवं ना ही जारी किये गये नोटिस का जवाब दिया गया। अतः सशक्त अधिकारी द्वारा इसे करापवंचन की मंशा मानते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशियों को यथावत रखा गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को बिना नोटिस दिये एक तरफा आदेश पारित किया गया है। प्रथम त्रैमास में 72,000/– की बिक्री को सत्यापित नहीं करवा पाने से सशक्त अधिकारी द्वारा उस विक्रय को बढाकर करारोपण किया गया है एवं साथ ही

लगातार.....2

अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। जिसे अपीलीय अधिकारी ने भी नजरअंदाज कर अपना अविधिक आदेश पारित करते हुए सशक्त अधिकारी के आदेश की पुष्टि की है जो अविधिक है। उपर्युक्त आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड का अध्ययन किया गया। पत्रावली के रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि व्यवसायी ने वर्ष 2009–10 के दौरान कोई त्रैमासिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं की है। सशक्त अधिकारी को आईटसी सत्यापन हेतु सहायक आयुक्त, शाहजहापुर का पत्र क्रमांक 7183 दिनांक 14.10.2011 प्राप्त हुआ जिसमें इस फर्म द्वारा जारी बिल क्रमांक 387 दिनांक 04.05.2009 का सत्यापन चाहा गया। उक्त बिल द्वारा रूपये 72,000/– की बिक्री की जाकर रूपये 9000/– का वेट वसूल किया गया था। सशक्त अधिकारी ने व्यवसायी को नोटिस देकर त्रैमासिक रिटर्न व देय कर जमा कराने हेतु आदेशित किया। दिनांक 22.02.2012 की आदेशिका से स्पष्ट है कि व्यवसायी को JCTO द्वारा भी रणजीत पौद्दार को नोटिस तामील कराया गया। दिनांक 09.03.2012 को व्यवसायी के अधिकृत प्रतिनिधि भी डी.एल. मैनारिया ने दिनांक 22.03.2012 तक का स्थगन प्राप्त किया परन्तु नियत दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई रिटर्न प्रस्तुत की गई। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि व्यवसायी ने जान बूझकर त्रैमासिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं की तथा देयकर जमा नहीं कराया है। अतः सशक्त अधिकारी को बाध्य होकर दिनांक 22.03.2012 को एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश करना पडा। उक्त आदेश दिनांक 22.03.2012 द्वारा चारो तिमाही की अनुमानित बिक्री मानी जाकर कर, शास्ति एवं ब्याज आरोपित किया गया है।
7. व्यवसायी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अनुमानित बिक्री का विशिष्ट नोटिस जारी नहीं किया गया है। अतः निर्धारण आदेश अपास्त किया जावे। नैसर्गिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुए व्यवसायी को एक अवसर और दिया जाना न्यायोचित है, ताकि व्यवसायी के वास्तविक टर्नओवर का कर निर्धारण किया जा सकें। अतः व्यवसायी को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर अपने समस्त बहियात लेकर सशक्त अधिकारी के समक्ष उपस्थित होवें तथा सशक्त अधिकारी बहियात/रिकॉर्ड की जांच के पश्चात नियमानुसार कर निर्धारण आदेश पारित करे। इस प्रकार प्रकरण पुनः जांच एवं कर निर्धारण हेतु सक्षम कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है। अपीलीय अधिकारी, उदयपुर का आदेश दिनांक 25.03.2013 को अपास्त किया जाता है।
8. उपरोक्तानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य